254/

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या : 442 /XXX(2)/2014

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 20 – 10 - 2014

विषयः राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के स्थानान्तरण, कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु वार्षिक स्थानान्तरण नीति दिनांक 29 मई, 2008 को निर्गत की गई थी और इस नीति में कार्मिकों के स्थानान्तरण, कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी विविध प्राविधान किए गए हैं।

2. प्रायः यह देखने में आया है कि कतिपय विभागों में सुगम से दुर्गम स्थान में स्थानान्तरण के फलस्वरूप अधिकारी/कर्मचारी को उनके नियंत्रक अधिकारी द्वारा कार्यभार से अवमुक्त नहीं किया जाता है और यदि कार्यभार से अवमुक्त किया जाता है तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तथा अपने स्थानान्तरण को रूकवाने अथवा निरस्त करवाने का प्रयास किया जाता है, जिससे जहाँ एक ओर शासन के आदेशों की तथा स्थानान्तरण नीति की स्पष्ट अवहेलना होती है, वहीं दूसरी ओर दुर्गम स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने के कारण पद रिक्त रहने से शासकीय कार्य प्रभावित होते हैं।

3. उक्त प्रस्तर–2 में इंगित स्थिति के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त "वार्षिक स्थानान्तरण नीति–2008" में निहित सामान्य प्राविधानों के अतिरिक्त जनहित में निम्नांकित अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं :–

(1) प्रत्येक विभाग के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले स्थानान्तरणों के लिए सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी द्वारा विभाग के अन्तर्गत चिन्हित सुगम एवं दुर्गम स्थानों पर कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु एक संयुक्त सूची/प्रस्ताव तैयार कर उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, किन्तु स्थानान्तरण आदेश निम्न कम में निर्गत किए जायेंगे :–

(i) सर्वप्रथम सुगम से दुर्गम स्थान, दुर्गम से दुर्गम स्थान एवं सुगम से सुगम (यथा लागू) स्थान के लिए स्थानान्तरण आदेश निर्गत किए जायेंगे और उनका कियान्वयन स्थानान्तरण आदेश में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर सुनिश्चित कराया जायेगा।

(ii) दुर्गम से सुगम स्थान के लिए अनुमोदित स्थानान्तरण आदेश सम्बन्धित कार्मिक अथवा उसके नियंत्रक अधिकारी को सीधे निर्गत नहीं किए जायेंगे और ऐसे आदेश की प्रति कार्मिक के दुर्गम स्थान में तैनाती के जिले से सम्बन्धित विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ उपलब्ध कराये जायेंगे कि विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी के स्तर पर जब इस बात की पुष्टि हो जाय कि सम्बन्धित कार्मिक की नियुक्ति के स्थान पर सुगम से दुर्गम अथवा दुर्गम से सुगम स्थान हेतु किए गए पूर्व स्थानान्तरण आदेशों के फलस्वरूप प्रतिस्थानी की तैनाती हो चुकी है और उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तभी विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा दुर्गम

से सुगम वाले स्थानान्तरण आदेश सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी/कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करने/होने के निर्देश के साथ उपलब्ध/निर्गत किये जायेंगे। सम्बन्धित विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा किसी भी दशा में दुर्गम से सुगम स्थान के लिए स्थानान्तरण अनुमोदित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश उसके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निर्गत नहीं किया जायेगा, अन्यथा इसे विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी के स्तर पर अनुशासनहीनता मानकर शासन द्वारा इसका समुचित संज्ञान लिया जायेगा।

(2) सुगम से दुर्गम स्थान, दुर्गम से दुर्गम स्थान एवं सुगम से सुगम स्थान के लिए स्थानान्तरित कार्मिकों को नियंत्रक अधिकारी द्वारा 03 दिन के अन्दर कार्यमुक्त किए जाने का उल्लेख स्थानान्तरण आदेश में किया जायेगा। इसी प्रकार, प्रतिस्थानी के कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त दुर्गम स्थान से सुगम स्थान हेतु स्थानान्तरित होने वाले कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश में भी नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रतिस्थानी के कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त तत्काल कार्यमुक्त किए जाने का निर्देश उल्लिखित होगा।

(3) स्थानान्तरण आदेश में निर्दिष्ट समयावधि के अन्दर कार्मिक को कार्यमुक्त न करने वाले नियंत्रक अधिकारी को सक्षम अधिकारी द्वारा तत्काल एक विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देकर तत्सम्बन्धी विवरण उसकी व्यक्तिगत पत्रावली/सेवा अभिलेख में रखा जायेगा ताकि ऐसे नियंत्रक अधिकारी की भविष्य में पदोन्नति के समय ऐसे विवरण का भी संज्ञान लिया जा सके।

(4) स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के उपरान्त निर्दिष्ट समयावधि में कार्यमुक्त न होने वाले अथवा कार्यमुक्ति के बाद अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण समय' (Joining Time) का उपभोग करने के उपरान्त नियत तिथि तक नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण न करने वाले कार्मिक को भी तत्काल एक विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ–साथ ऐसे कार्मिक के विरूद्ध अन्य कठोर दण्डनीय कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी और ऐतद्विषयक समस्त विवरण, उसकी व्यक्तिगत पत्रावली/सेवा अभिलेख में संरक्षित रखा जायेगा ताकि ऐसे कार्मिक की भविष्य में पदोन्नति के अवसर पर उसका संज्ञान लिया जा सके।

(5) स्थानान्तरित किए गए कार्मिक का वेतन, स्थानान्तरण आदेश में कार्यमुक्ति हेतु निर्दिष्ट तिथि के उपरान्त पूर्व तैनाती के स्थान/जनपद से आहरित नहीं किया जायेगा और ऐसे कार्मिक को नियंत्रक अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कोई अवकाश भी स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ऐतद्विषयक उल्लेख स्थानान्तरण आदेश में भी अंकित करते हुए स्थानान्तरण आदेश की प्रति सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी को भी पृष्ठांकित की जायेगी।

(6) स्थानान्तरित किए गए कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश उसकी व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित रखा जायेगा और उस पर कार्मिक के कार्यमुक्त होने हेतु निर्दिष्ट तिथि, कार्यमुक्त होने की वास्तविक तिथि तथा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि अंकित की जायेगी। ऐसे विवरण का संज्ञान सम्बन्धित कार्मिक की भविष्य में होने वाली पदोन्नति के अवसर पर भी लिया जायेगा।

(7) उपर्युक्त निर्देशों के आलोक में कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेश में अन्य बातों के साथ–साथ पृष्ठांकन प्रति पर जिन बिन्दुओं का उल्लेख/समावेश किया जायेगा, इसका नमूना निम्नवत् है :–

(i) .....(सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी) को इस निर्देश के साथ कि वे कृपया श्री..... को ..... दिन के अन्दर कार्यभार से अवमुक्त करते हुए उन्हें नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। आदेश का अनुपालन न करने की दशा में इसे शासन के आदेशों की अवहेलना तथा अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा नियंत्रक अधिकारी के विरूद्ध विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(ii) .....(सम्बन्धित विभाग/अनुभाग) को इस निर्देश के साथ कि इसे सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जाये तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि, कार्यमुक्त होने की तिथि तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि का विवरण अंकित किया जाय जिसका भविष्य में पदोन्नति के समय संज्ञान लिया जायेगा।

(iii) वरिष्ठ कोषाधिकारी.....उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि इस आदेश में कार्यमुक्ति हेतु निर्दिष्ट तिथि के बाद श्री ..... का वेतन जनपद ..... से आहरित नहीं किया जायेगा।

4. शासन द्वारा लिए गए उक्त नवीन निर्णयों/निर्देशों से असंगतता की सीमा तक 'वार्षिक स्थानान्तरण नीति–2008' संशोधित समझी जायेगी और उसके अन्य प्राविधान पूर्ववत् लागू रहेंगे। अतः अनुरोध है कि कृपया विभाग के अन्तर्गत किए जाने वाले स्थानान्तरणों के संदर्भ में उक्त नवीन निर्णयों/निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या : 442/XXX(2)/2014/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव